



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3725]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 2019/कार्तिक 28, 1941

No. 3725]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2019/KARTIKA 28, 1941

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2019

का.आ. 4149(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2019 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में,-

(क) खंड 2 में,-

(i) उप-खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

‘(ग) “कारखाना” से ऐसा परिसर, जिसके अंतर्गत उसकी सीमाएं भी हैं, अभिप्रेत है, जिसके किसी भाग में निर्वात कड़ाह प्रक्रिया द्वारा चीनी विनिर्मित की जाती है और इसके स्वयं के विकल्प पर या तो गन्ने के रस/चीनी/चीनी सीरप से या सीधे शीरे से, जिसके अंतर्गत, ख- भारी शीरा भी है, इथेनॉल का विनिर्माण किया जाता है’;

(ii) उप-खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

‘(i) “चीनी के उत्पादक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो निर्वात कड़ाह प्रक्रिया द्वारा चीनी और अपने स्वयं के विकल्प पर या तो सीधे गन्ने के रस/चीनी/चीनी सीरप से या शीरे से जिसके अंतर्गत ख- भारी शीरा भी है, का विनिर्माण करने का कारोबार करता है’

(ख) खंड 3 के, उप-खंड (1) में स्पष्टीकरण (2) और स्पष्टीकरण (3) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण अतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण (2).-जब कोई चीनी कारखाना गन्ने के रस/चीनी/चीनी सीरप या ख- भारी शीरे से सीधे इथेनॉल का उत्पादन करता है, तो ऐसे चीनी कारखाने की दशा में वसूली की दर का अवधारण एक टन चीनी के उत्पादन के समतुल्य रूप में इस प्रकार उत्पादित प्रत्येक 600 लीटर इथेनॉल पर विचार करके किया जाएगा।

स्पष्टीकरण (3).- गन्ने के रस/चीनी/चीनी सीरप से सीधे इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति केवल चीनी कारखाने के मामले में ही दी जाएगी”।

[फा.सं. 3(3)/2018-एसपी-1]

एस.के. वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि. 1126/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 16 जुलाई, 1966 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसमें निम्नलिखित तत्पश्चात् संशोधन किए गए:-

1. सा. का. नि. 35/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 05-01-1967
2. सा. का. नि. 1591/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 17-10-1967
3. सा. का. नि. 945/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 18-5-1968
4. सा. का. नि. 1456/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 02-08-1968
5. सा. का. नि. 620(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 08-04-1970
6. सा. का. नि. 402(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 25-09-1974
7. सा. का. नि. 492(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 12-09-1975
8. सा. का. नि. 542(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 27-10-1975
9. सा. का. नि. 484(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 26-07-1976
10. सा. का. नि. 799(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 13-09-1976
11. सा. का. नि. 815(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 24-09-1976
12. सा. का. नि. 913(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 09-12-1976
13. सा. का. नि. 62(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 02-02-1978
14. सा. का. नि. 197(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 28-03-1978
15. सा. का. नि. 427(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 03-07-1981
16. सा. का. नि. 79(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 24-02-1982
17. सा. का. नि. 695(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 09-09-1983
18. सा. का. नि. 903(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29-11-2000
19. सा. का. नि. 113(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 20-02-2003
20. सा. का. नि. 204(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 22-03-2004
21. का. आ. 1940(अ) तारीख 10-11-2006
22. का. आ. 1309(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 31-07-2007
23. का. आ. 2198(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 28-12-2007
24. का. आ. 2984(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 29-12-2008

25. का. आ. 2665(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 22-10-2009
26. का. आ. 33(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 07-01-2010
27. का. आ. 2787(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 24-08-2016
28. का. आ. 3093(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना तारीख 30-09-2016
29. का. आ. 3663(अ)/ आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 26-07-2018

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 19th November, 2019

S.O. 4149 (E)/Ess.Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control) Order, 1966, namely:-

1 (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) Amendment Order, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2 In the Sugarcane (Control) Order, 1966,-

(a) in clause 2,-

(i) for sub-clause (c), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

‘(c) “factory” means any premises including the precincts thereof in any part of which sugar is manufactured by vacuum pan process and at its own option, manufactures ethanol directly from sugarcane juice or sugar or sugar syrup or from molasses, including B-heavy molasses;

(ii) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:

‘(i) “producer of sugar” means a person carrying on the business of manufacturing sugar by vacuum pan process and at its own option, manufactures ethanol directly from sugarcane juice or sugar or sugar syrup or from molasses, including B-heavy molasses’

(b) in clause 3, in sub-clause (1), for *Explanations* (2) and (3), the following *Explanations* shall be substituted, namely:-

“*Explanation* (2).- When a sugar factory produces ethanol directly from sugarcane juice or sugar or sugar syrup or B-heavy molasses, the conversion rate in case of such sugar factory shall be determined by considering every six hundred liters of ethanol so produced as equivalent to one tonne of production of sugar;

Explanation (3).- Production of ethanol directly from **sugarcane juice or sugar or sugar syrup** shall be allowed in case of sugar factories only.”

[F.No. 3(3)/2018-SP-I]
S.K. VASHISHTH, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 1126/ Ess.Com./Sugarcane, dated the 16th July, 1966 and was subsequently amended *vide*:

1. G.S.R. 35/Ess.Com./Sugarcane dated 5.1.1967
2. G.S.R. 1591/Ess.Com./Sugarcane dated 17.10.1967
3. G.S.R. 945/Ess.Com./Sugarcane dated 18.5.1968
4. G.S.R. 1456/Ess.Com./Sugarcane dated 2.8.1968
5. G.S.R. 620(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 8.4.1970
6. G.S.R. 402(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 25.9.1974
7. G.S.R. 492(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 12.9.1975
8. G.S.R. 542(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 27.10.1975
9. G.S.R. 484(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 26.7.1976
10. G.S.R. 799(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 13.9.1976
11. G.S.R. 815(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 24.9.1976
12. G.S.R. 913(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 9.12.1976
13. G.S.R. 62(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 2.2.1978
14. G.S.R. 197(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 28.3.1978
15. G.S.R. 427(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 3.7.1981
16. G.S.R. 79(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 24.2.1982
17. G.S.R. 695(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 9.9.1983
18. G.S.R. 903(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 29.11.2000
19. G.S.R. 113(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 20.2.2003
20. G.S.R. 204(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 22.3.2004
21. S.O. 1940(E) dated 10.11.2006
22. S.O. 1309(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 31.7.2007.
23. S.O. 2198(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 28.12.2007.
24. S.O. 2984(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 29.12.2008.
25. S.O. 2665(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 22.10.2009.
26. S.O. 33(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 7.1.2010.
27. S.O. 2787(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 24.8.2016.
28. S.O. 3093(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 30.9.2016.
29. S.O. 3663(E)/Ess.Com./Sugarcane dated 26.7.2018.